"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–79/2014/18 (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत तुमगांव जिला–महासमुन्द के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	गुरू घांसीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1	डॉ. अम्बेड़कर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		10	शहीद भगत सिंह वार्ड
		13	इंदिरा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	पं. दीनदयाल वार्ड
		11	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
		12	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–79/2014/18 (1) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–79/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	8	Guru Ghansidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Dr. Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	15	Shahid Veer Narayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nil	Nil
5.	Other Backward Class	2	Swami Vivekanand Ward
		10	Shahid Bhagat Singh Ward
		13	Indra Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
7.	Female	6	Pt. Dindayal Ward No. F-1-79/2014/18-1 the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Tumgoan distt. Mahasamund** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :- **List of the Reserved Wards**
		11	Dr. Ram Manohar Lohiya Ward
		12	Rani Laxmi Bai Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–79/2014/18 (2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पिथौरा जिला–महासमुन्द के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड. क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	5	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	शहीद भगत सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		10	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
		13	विपिन चन्द्रपाल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	महात्मा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		9	बाबा अम्बेडकर वार्ड
		12	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		14	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–79/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–79/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-79/2014/18-2. the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Pithoura distt. Mahasamund** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	5	Chandrashekhar Aazad Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	4	Shahid Bhagat Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nil	Nil
5.	Other Backward Class	7	Lal Bahadur Shashtri Ward
		10	Bal Gangadhar Tilak Ward
		13	Bipin Chandrapal Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Mahatma Gandhi Ward
7.	Female	3	Dr. Rajendra Prasad Ward
		9	Baba Ambedkar Ward
		12	Subhash Chandra Bose Ward
		14	Maharani Laxmi Bai Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र.एफ 1—79/2014/18 (3) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29—ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत बसना जिला—महासमुन्द के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	इंदिरा कालोनी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	5	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	भगत सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		10	महात्मा गांधी वार्ड
		12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	6	कबीर नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	अब्दुल कलाम वार्ड
		11	रानी दुर्गावती वार्ड
		14	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1—79/2014/18 (3) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1—79/2014/18 (3) दिनांक 07—11—2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-79/2014/18-3. the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Basna distt. Mahasamund** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	1	Indra Colony Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	5	Dr. Bheemroa Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Bhagat Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	NIl	Nil
5.	Other Backward Class	9	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
		10	Mahatma Gandhi Ward
		12	Sardar Ballabh Bhai Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	6	Kabir Nagar Ward
7.	Female	7	Abdul Kalaam Ward
		11	Rani Durgavati Ward
		14	Chandrashekhar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र..एफ 1–79/2014/18 (4) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् सरायपाली, जिला–महासमुन्द के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	गुरू घांसीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	14	रानी दुर्गावती वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		6	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		9	स्वामी विवेकानंद वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	महात्मा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		11	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		13	सरदार भगत सिंह वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–79/2014/18 (4) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–79/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–79/2014/18 (4) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Saraipali distt. Mahasamund** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	1	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Guru Ghansidas Ward
3.	Scheduled Tribes	14	Rani Durgavati Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nil	Nil
5.	Other Backward Class	5	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		6	Chandrashekhar Aazad Ward
		9	Swami Vivekanand Ward
6.	Other Backward Class (Female)	4	Mahatma Gandhi Ward
7.	Female	7	Sardar Ballabh Bhai Patel Ward
		11	Subhash Chadra Bose Ward
		13	Sardar Bhagat Singh Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–79/2014/18 (5) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगरपालिका परिषद् बागबाहरा, जिला–महासमुन्द** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		10	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		14	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	राजीव गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	6	श्रीकृष्ण अग्रवाल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	इंदिरा गांधी वार्ड
		4	दीनदयाल उपाध्याय
		8	गुरूनानक वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	गणेश नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	12	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		13	जाकिर हुसैन वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–79/2014/18 (5) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–79/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No.. F 1–79/2014/18 (5) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Bagbahra distt. Mahasamund** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	9	Dr. Ambedkar Ward
		10	Subhash Chandra Bose Ward
		14	Rajendra Prasad Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Rajeev Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	6	Shri Krishna Agrawal Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	1	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	3	Indira Gandhi Ward
		4	Dindayal Upadhyay Ward
		8	Guru Nanak Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Ganesh Nagar Ward
7.	Female	12	Lal Bahadur Shastri Ward
		13	Zakir Hussein Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1—79/2014/18 (6) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29—ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगरपालिका परिषद् महासमुन्द, जिला—महासमुन्द** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:--

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	अयोध्या नगर वार्ड
		6	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		22	पं. जयलाल प्रसाद शर्मा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	विश्वकर्मा वार्ड
		21	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	संजय नगर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	विद्याचरण शुक्ल वार्ड
		11	पं. दीनदयाल वार्ड
		16	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		24	सरदार भगत सिंह वार्ड
		28	डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	7	कुंवर दिलीप सिंह जुदेव वार्ड
		8	ठाकुर प्यारेलाल वार्ड
		25	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
7.	महिला वर्ग	10	डॉ. सुशील सेमुएल वार्ड
		14	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
		19	लतीफ घोंघी वार्ड
		26	पंचशील वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1—79/2014/18 (6) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1—79/2014/18 (6) दिनांक 07—11—2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–79/2014/18 (6) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Mahasamund, distt. Mahasamund** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	4	Ayodhya Nagar Ward
		6	Dr. Ambedkar Ward
		22	Pt. Jaylal Prasad Sharma Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	9	Vishwakarma Ward
		21	Guru Ghansidas Ward
3.	Scheduled Tribes	12	Sardar Ballabh Bhai Patel Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Sanjay Nagar Ward
5.	Other Backward Class	3	Vidyacharan Shukla Ward
		11	Pt. Dindayal Ward
		16	Rajendra Prasad Ward
		24	Sardar Bhagat Singh Ward
		28	Dr. Shyama Prasad Mukerjee Ward
6.	Other Backward Class (Female)	7	Kunwar Dilip Singh Judev Ward
		8	Thakur Pyarelal Ward
		25	Dr. Radha Krishnan Ward
7	Female	10	Dr. Sushil Samuel Ward
		14	Dr. Zakir Hussein Ward
		19	Latif Ghonghi Ward
		26	Panchsheel Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.